मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

122वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 23–02–2023

का

कार्यवृत

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 122वीं बैठक दिनांक 23–02–2023 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 122वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 23–02–2023 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदया तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.	श्री अभिषेक पाण्डेय,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष।
2.	श्री दीपक मीणा,	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य।
3.	श्रीमती ममता मालवीय	अपर नगर आयुक्त प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य।
4.	श्री अतुल कुमार सिंह,	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग–8, लखनऊ।	सदस्य।
5.	श्री दीपेन्द्र कुमार	सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मेरठ।	
6.	श्री राजेन्द्र बहादुर यादव,	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य।
7.	श्री राजीव कुमार,	अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, मेरठ प्रतिनिधि आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	सदस्य
8.	श्री मोहित वर्मा,	अधिशासी अभियन्ता प्रतिनिधि परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियन्त्रण ईकाई, उत्तर प्रदेश, जल निगम–नगरीय, मेरठ।	सदस्य।

9.	श्री कृष्ण मोहन,	सहयुक्त नियोजक, (प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ एवं प्रतिनिधि आयुक्त एन0सी0आर0 गाजियाबाद) सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ।	सदस्य
10-	श्रीमती वर्षा कौशिक,	शासन द्वारा नामित सदस्य, के–3, के ब्लॉक, विद्या मन्दिर इन्टर कालेज, शास्त्रीनगर, मेरठ।	सदस्य।
11.	श्री नैन सिंह तोमर,	शासन द्वारा नामित सदस्य, गली नं0 01, मकान नं0 8, नेहरू नगर, गढ़ रोड़, मेरठ।	सदस्य।
12.	श्री चरण सिंह लिसाड़ी,	शासन द्वारा नामित सदस्य, ग्राम व पोस्ट लिसाड़ी, मेरट।	सदस्य।
13.	श्री चन्द्रपाल तिवारी,	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक/सदस्य।

कोरम पूर्ण है। अतःएव अध्यक्ष महोदया द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये गये।

121 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18–07–2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि–

माननीय बोर्ड द्वारा दिनांक 18–07–2022 को सम्पन्न 121वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

119वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20–04–2022 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर पारित बोर्ड के निर्णय का अनुपालन–			
3.	दिनांक 24–07–2011 को शताब्दीनगर योजना में	बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में मृतक श्री उदयपाल के आश्रित श्रीमती सुमन (पत्नी) को रूपये 7.00 लाख, मृतक श्री	अनुपालन आख्या अवलोकित।

	सीवर मेनहॉल में तीन व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के क्रम में पीडित के परिजनों को मुआवजे की अवशेष धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	ओमकार के आश्रित श्रीमती मीनू (पत्नी) को रूपये 8.00 लाख तथा मृतक श्री सुरेश के आश्रित श्री राहुल शर्मा व श्री मोहित (पुत्रगण) को रूपये 7.00 लाख का चैक प्राधिकरण द्वारा सौपते हुए भुगतान किया जा चुका है। सम्बन्धित ठेकेदार मैसर्स लक्ष्मी इन्फ्राकॉन प्रा0 श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री राममेहर सिंह, निवासी 540, पूर्वी रिठानी, मेरठ से रूपये 22.00 लाख भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र सं0 305/अधि0अभि0/022 दिनांक 27–06–2022 जारी किया जा चुका है।	
4.	मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में सेवानिवृत्त/ स्थानान्तरित अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर प्राधिकरण से सेवानिवृत्त अभियन्ताओं को मानदेय पर रखे	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में मेरठ विकास प्राधिकरण में अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर विकास प्राधिकरणों से सेवानिवृत्त अभियन्ताओं को सुसंगत शासनादेशों के अनुसार देय मानदेय पर जनहित व कार्यहित में नियुक्त करने के लिये पत्र सं0 313/एक–अधि0/2022 दिनांक 01–07–2022 प्रेषित है, किन्तु इस सम्बन्ध में शासन के कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए है। बोर्ड के निर्णय का उद्धरण निम्नवत् प्रस्तुत है:–	बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:– i) सेवानिवृत्त अभियन्ता किसी भी विभाग से हो, को आउट सोर्सिंग के माध्यम से मानदेय पर रख लिया जाये। ii) यह भी ध्यान रखा जाये कि सम्बन्धित अभियन्ता अभियन्ता के सेवाकाल के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य विद्यमान न रहा हो।

	जाने के सम्बन्ध में।	*"मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा की गयी तथा यह निर्देश दिये गये कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम का प्रस्ताव न भेजकर, प्रचलित शासनादेश के आलोक में रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित भर्ती न होने तक अनुभवी, दक्ष व स्वच्छ छवि के सेवानिवृत्त अभियन्ताओं को उक्त के सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार जनहित व कार्यहित में नियुक्त करने के लिये बोर्ड/उपाध्यक्ष को अधिकृत करने के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाये।"*	
121वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18–07–2022 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर पारित बोर्ड के निर्णय का अनुपालन–			
1.	मेरठ नगर में संचालित पशु डेयरियों को नगर से बाहर कैटिल कालोनी विकसित कर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।	मेरठ विकास प्राधिकरण की 121वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18–07–2022 के कार्यवृत्त के अनुपालन में कैटिल कालोनी के ले–आउट प्लान में संशोधन कर ले–आउट प्लान पर उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 12.10.2022 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा ले–आउट प्लान के अनुरूप विकास कार्यो के आगणन लगभग रू0 6.50 करोड आंकलित किया गया है। विकास कार्यो के आगणन के अनुसार भूखण्डों की	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये गए कि चूँकि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा डिमाण्ड सर्वे ऑन लाईन कराया जा रहा है एवं सर्वे के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन नगर निगम, मेरठ द्वारा भी कराया जाना प्रस्तावित है, इसलिये आवेदकों से रूपये 10,000/– (दस हजार रूपये मात्र) शुल्क जमा कराये

		कीमत के अनुरूप मार्केट से डिमान्ड सर्वे कराया जा रहा हैं। डिमान्ड सर्वे में प्राप्त आवेदनों का सत्यापन नगर निगम, मेरठ द्वारा किये जाने के उपरान्त यदि पशुपालको से ग्राम नगलापातू के चिन्हित स्थलों पर डेयरियों को शिफ्ट किये जाने हेतु समस्त भूखण्डों की मांग प्राप्त होती है, तो ऐसी अवस्था में ही उक्त चिन्हित स्थल पर प्राधिकरण द्वारा कैटिल कालोनी विकसित की जाएगी।	जाने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि ''कैटिल योजना'' हेतु जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा भूमि उपलब्ध कराने पर आवेदकों से सहमति एवं प्रारम्भिक किश्त जमा कराने के उपरान्त ही ''कैटिल कालोनी'' विकसित की जाये जिससे कालान्तर में कैटिल कालोनी का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
2.	शताब्दीनगर योजना, सेक्टर–2 में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 सी–12, क्षेत्रफल 2269.37 वर्ग मीटर भूमि रैपिड स्टेशन के निर्माणार्थ एवं सेक्टर–4सी में स्थित 4000.00 वर्ग मीटर व्यवसायिक भूमि सब स्टेशन के निर्माणार्थ आर0आर0टी0एस0 द्वारा	अवगत कराना है कि शताब्दीनगर योजना के सेक्टर 2 में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 सी–12, क्षेत्रफल 2269.37 वर्ग मीटर रेपिड रेल के स्टेशन हेतु तथा सेक्टर 4सी में स्थित 4000 वर्ग मीटर व्यवसायिक भूमि विद्युत सब स्टेशन के लिये चिन्हित भूखण्ड का दिनांक 07–01–2023 को पट्टा विलेख का निष्पादन कराया जा चुका है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

	दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कोरिडोर के क्रियान्वित किये जाने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को आवंटन के सम्बन्ध में।		

122वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23–02–2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–

मद सं0	विषय	निर्णय
1.	वित्तीय वर्ष 2022–23 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 का प्रस्तावित आय–व्ययक।	बोर्ड द्वारा बजट पर गहन चर्चा की गयी तथा आय के स्रोत बढाने हेतु निर्देश दिये गये। इस हेतु आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित पिकनिक स्थल/चौपाटी का संज्ञान लेकर, तद्नुसार उपयुक्त स्थल का चयन कर इसी प्रकार की आय अर्जक योजना तैयार कर क्रियान्वित की जाये। उपरोक्त निर्देश के साथ वित्तीय वर्ष 2022–23 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 का प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमोदित किया।
2.	उ0प्र0 ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट (टी.ओ.डी.) नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु मेरठ नगर में आर.आर.टी.एस. तथा मेरठ मेट्रो के	बोर्ड द्वारा परिचालन पद्धति से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

	दृष्टिगत चिन्हित टी.ओ.डी जोन्स (एस.डी.ए. तथा आई.जेड.) के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने हेतु एन.सी.आर.टी.सी. को एजेन्सी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	
3.	उ0प्र0 ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट (टी.ओ.डी.) नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु मेरठ नगर में आर.आर.टी.एस. तथा मेरठ मेट्रो के दृष्टिगत मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) चिन्हित टी.ओ.डी जोन्स (एस.डी.ए. तथा आई.जेड.) की वास्तविक सीमाओं का परिसीमन क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं जैसे सडकें, रेलवे लाईन, नदियो, नालियॅं, आदि अन्य स्थानीय परिस्थितियों और क्षेत्र की विकास पर संभाव्यता के आधार पर किये जाने के दृष्टिगत महायोजना प्रारूप पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा परिचालन पद्धति से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

4.	प्राधिकरण की विकसित योजनाओं के रख–रखाव हेतु सीवर सफाई हेतु 'सीवर जैटिंग' मशीन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा परिचालन पद्धति से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।
5.	उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (जल शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण) नियमावली, 2022 के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (जल शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण) नियमावली, 2022 अंगीकृत की गयी।
6.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2020 अधिसूचना संख्या–1198/78–1–2020–05आईटी/ 2020 दिनांक 20.08.2020 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2020 अधिसूचना संख्या–1198/78–1–2020– 05आईटी/ 2020 दिनांक 20.08.2020 अंगीकृत की गयी।
7.	राज्य कर्मचारी बीमा निगम को जनपद में 100 शैय्या कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के निर्माण के लिए ग्राम नंगलाताशी, तहसील व जिला मेरठ (खसरा संख्या–947 क्षेत्रफल 4.6680 हैक्ट0 में से क्षेत्रफल 2.0240	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त अनुमोदित किया गया।

	हैक्ट0) में आवंटित भूमि को आवासीय भू–उपयोग से सार्वजनिक सुविधाऐं (शैक्षिक संस्था एवं सामुदायिक सुविधाऐं) में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	
8.	प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना में अर्द्धनिर्मित उपाध्यक्ष आवास के भूखण्ड की निहित भूमि का उपयोग "आवासीय" से "सामुदायिक केन्द्र तथा उक्त के क्रम में सामुदायिक केन्द्र के स्थान पर प्रश्नगत तलपट मानचित्र में आवासीय भूखण्डों का नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्तमान में शताब्दीनगर योजना में अर्द्धनिर्मित उपाध्यक्ष आवास के भूखण्ड में निहित भूमि का उपयोग "आवासीय" से "सामुदायिक केन्द्र तथा उक्त के क्रम में सामुदायिक केन्द्र के स्थान पर प्रश्नगत तलपट मानचित्र में आवासीय भूखण्डों का नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में, आम जनता से "आपत्ति एवं सुझाव" प्राप्त किये जाने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जा चुकी है जिस पर बोर्ड द्वारा आगे की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
9.	मेरठ महायोजना–2021 की जोनिंग रेगुलेशन के अन्तर्गत ग्रीन वर्ज में फिलिंग स्टेशन क्रिया को विशेष अनुमति से सशर्त अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

10.	मेरठ विकास प्राधिकरण की 118 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20–11–2021 में पारित प्रस्ताव में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त पूर्व में 114वीं बोर्ड व 118 बोर्ड द्वारा शमन के सम्बन्ध में पारित निर्णय को विलोपित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–32 में अनाधिकृत निर्माण को शमन किये जाने की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
11.	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में संचालित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्टस् को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त बोर्ड द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में संचालित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्टस् एवं अन्य समस्त सम्पत्तियाँ/परिसम्पत्तियाँ जो कि नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित की जानी है, को नगर निगम, मेरठ को अगली बोर्ड बैठक से पूर्व प्रत्येक दशा में हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये गये।
12.	शताब्दीनगर योजना के सैक्टर–2 में स्थित उपाध्यक्ष आवास में किये गये कार्य का अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में सिविल मिसलेनियस रिट याचिका सं0 26519/2022 मैसर्स कार्तिक बिल्डकेयर, प्रा0लि0 एण्ड अनादर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ओर 4 अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित् निर्णय/आदेश दिनांकित 17–11–2022 का अनुपालन किये जाने एवं शताब्दीनगर योजना के	बोर्ड द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के निर्देश दिये गये।

	सैक्टर 2 में आवंटित भूखण्ड की त्रुटि सुधार हेतु किसी अन्य भूखण्ड का कब्जा दिये जाने विषयक सिविल मिसलेनियस रिट याचिका सं0 33600/2022 खुर्शीद जबीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य की सुनवाई के दौरान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–12–2022 का अनुपालन किये जाने हेतु प्रस्ताव।	
13.	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना के अर्धनिर्मित भवनों को यथा स्थिति में बल्क सैल के माध्यम से विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त प्रस्ताव पर आश्यक कार्यवाही किये जाने से पूर्व शासन का मार्गदर्शन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।
14.	हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित "निर्माण निषिद्ध क्षेत्र" में पडने वाले 254 आवंटियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी। प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना, प्रथम बार वर्ष 1989 में लांच की गयी थी जिसके सापेक्ष प्रथम बार आवंटन माह जनवरी, 1990 में हुए थे। शताब्दी नगर योजना के सैक्टर 4सी के पॉकेट "ई" व "एफ" की 275 सम्पत्तियाँ ऐसी है, जिनका आवंटन, माह जनवरी, वर्ष 1990 से 06–07–2006 के मध्य हुआ था। डा0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी का वर्ष 2010 में विस्तारीकरण हो जाने के फलस्वरूप, प्रभावित हो गयी है।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पूर्व में इन प्रभावित सम्पत्तियों का आवंटन, शताब्दीनगर योजना में एक ही स्थान पर सम्पत्तियों का विकास कर समायोजन किये जाने का निर्णय पारित हुआ था, किन्तु शताब्दीनगर योजना में इस हेतु चयनित स्थल, काश्तकारों द्वारा अभी तक भूमि खाली न किये जाने के फलस्वरूप, विकास न होने के कारण समायोजन नहीं हो सका है।

हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के सम्बन्ध मे नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा निर्गत सिविल सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत हवाई अड्डों/हवाई पट्टी के समीप सिविल ऐविएशन आर्गेनाईजेशन के मानकों के अनुरूप कतिपय "निर्माण निषिद्ध क्षेत्र" निर्धारित किये गये हैं। निषिद्व क्षेत्र का निर्धारण नागरिक उड्डयन विभाग के शासनादेश संख्या 202/छप्पन/2010 दिनांक 4–2–2010 के अन्तर्गत होता है। इस "निर्माण निषिद्ध क्षेत्र" के निर्धारण में मेरठ विकास प्राधिकरण की कोई भूमिका नही रही है।

मेरठ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) के नियम सं0 3.4.5 के उपनियम (ii) पर के अन्तर्गत उक्त शासनादेश उल्लिखित है तथा जिसके अनुसार भवन उपविधि में निम्नलिखित प्राविधान है–

(1) Parallel to ranway from the centre line of runway (on Both Sides):		
मध्य से दूरी		**अनुमन्यता**
(क)	125 तक	कोई निर्माण नहीं।
(ख)	125–150 तक	3 मी. ऊँचाई तक

		(ग)	150—175 तक	6 मी. ऊँचाई तक
		(घ)	175—200 तक	9 मी. ऊँचाई तक
		(च)	200—225 तक	12 मी. ऊँचाई तक
		(छ)	225—250 तक	15 मी. ऊँचाई तक
		(ज)	250—275 तक	18 मी. ऊँचाई तक
		(झ)	275—300 तक	21 मी. ऊँचाई तक
		(ट)	300—325 तक	25 मी. ऊँचाई तक
		(ठ)	325—350 तक	29 मी. ऊँचाई तक
		(ड)	350—375 तक	33 मी. ऊँचाई तक
		(ढ)	375—400 तक	37 मी. ऊँचाई तक
		(ण)	400—425 तक	41 मी. ऊँचाई तक
		(त)	425—4100 तक	45 मी. ऊँचाई तक
		(थ)	4100 मीटर से अधिक	कोई प्रतिबन्ध नहीं
		(2)	Beyond both Sides of runway from the edge of runway :	
			किनारों से दूरी (मीटर)	**अनुमन्यता**
		(क)	500 तक	कोई निर्माण नहीं

(ख)	500–750 तक	9 मी. ऊँचाई तक
(ग)	750–1000 तक	15 मी. ऊँचाई तक
(घ)	1000–1250 तक	20 मी. ऊँचाई तक
(च)	1250–1500 तक	25 मी. ऊँचाई तक
(छ)	1500–1750 तक	30 मी. ऊँचाई तक
(ज)	1750–2000 तक	35 मी. ऊँचाई तक
(झ)	2000–2250 तक	40 मी. ऊँचाई तक
(ट)	2250–4000 तक	45 मी. ऊँचाई तक
(ठ)	4000 से अधिक	कोई प्रतिबन्ध नहीं

बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया कि हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित समस्त 254 सम्पत्तियों का स्थलीय सत्यापन पुनः कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मेरठ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) के नियम सं0 3.4.5 के उपनियम (ii) के अनुसार उपरोक्त सम्पत्तियों में से कितनी सम्पत्ति, हवाई पट्टी की मध्य रेखा से/अन्तिम छोर से कितनी दूरी पर स्थित है जिससे यह स्थिति ज्ञात हो सके कि इन 254 सम्पत्तियां में से कितनी सम्पत्तियां "निर्माण निषिध" क्षेत्र में स्थित है। तदोपरान्त ऐसी सम्पत्तियाँ जो "निर्माण निषिद्ध" क्षेत्र में पड़ती है, के सम्बन्ध में "कार्य–योजना" तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये।

15.	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनिस्तारित रिक्त विलॉज (डुप्लैक्स), भवनों, फ्लैटस् जिनकी दिनांक 31–03–2018 को लागू रही कीमत बोर्ड द्वारा तद्न्तर दिनांक 30–09–2022 तक अवधि हेतु फ्रीज़ करते हुए लाटरी पद्धति से निस्तारण किये जाने का निर्णय लिया गया था, को "प्रथम आओ, प्रथम पाओं" पद्धति से आवंटन/निस्तारण किये जाने का प्रस्ताव।	प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत 1079 अनिस्तारित रिक्त विलॉज (डुप्लैक्स), भवनों, फ्लैटस् की दिनांक 31–03–2018 को लागू रही कीमत को, बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्त तक फ्रीज़ किये जाने का निर्णय लिया गया। शासनादेश संख्या : 2798/9–आ–5–93–8मिस/86 दिनांक 16 जून, 1993 एवं शासनादेश संख्या : 4912/9–आ–1–99/32 हडको/97 टीसी दिनांक 04, नवम्बर, 1999 के आलोक में 'प्रथम आवत्–प्रथम पावत' के सिद्धान्त पर रिक्त सम्पत्तियों का निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये।
16.	लिपिकीय त्रुटिवश आवंटन में अनियमितता, स्थलीय अवरोध के कारण सम्पत्ति का विकास सम्भव न हो पाना अथवा ले आउट में किसी प्रकार की त्रुटि, मौके पर अन्य कोई संरचना होने पर ऐसी सम्पत्तियों के सापेक्ष आवंटी की जमा धनराशि सब्याज वापस करने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर गहनता से चर्चा की गयी। बोर्ड को अवगत कराया गया कि आवंटियों से जमा करायी जाने वाली पंजीकरण व किश्तों आदि की धनराशि, मेरठ विकास प्राधिकरण के बचत खाते में अथवा एफ0डी0 खाते में रखी जाती है। वर्तमान में बचत खाते की ब्याज दर 2.90 प्रतिशत वार्षिक एवं एफ0डी0 खाते की ब्याज दर लगभग 5.10 प्रतिशत वार्षिक है। अतः आवंटियों की जमा धनराशि पर प्राधिकरण को औसतन् 4.00 प्रतिशत की दर से ब्याज अर्जित हो रहा है। इस प्रकार आर्थिक दृष्टिकोण से आवंटियों की जमा धनराशि पर 4.00 प्रतिशत से अधिक दर से ब्याज दिया जाना उचित न होगा। बोर्ड द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत, ऐसे भूखण्ड, जो आवंटन

		के पश्चात् लिपिकीय त्रुटिवश आवंटन में अनियमितता, स्थलीय अवरोध के कारण सम्पत्ति का विकास सम्भव न हो पाना अथवा ले आउट में किसी प्रकार की त्रुटि, मौके पर अन्य कोई संरचना होने पर अनुपलब्ध पाये जाने के कारण, प्राधिकरण कब्जा दिये जाने की स्थिति में नहीं है, के सापेक्ष जमा धनराशि, पर जमा दिनांक से वापसी दिनांक तक का 4.00 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से वापस किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

20/3/23

(चन्द्र पाल तिवारी)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(अभिषेक पाण्डेय)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(सेल्वा कुमारी जे0)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।